रजिस्ट्री सं. डी.--(डी. एन.)--73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 1986 (आश्विन 26, 1908)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1986 (ASVINA 26, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I--खण्ड 1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . . . . | 705 |
| भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . . . | 1163 |
| भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . . . | — |
| भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . | 1561 |
| भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . | * |
| भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . | * |
| भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . | * |
| भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . | * |
| भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . | * |
| भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . | * |
| भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . . | 23991 |
| भाग III--खण्ड 2--पैटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . . . . | 659 |
| भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . | — |
| भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . | 1889 |
| भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . . | 147 |
| भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . | * |


*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—281GI/86

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. | 705 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. .. .. .. | 1163 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. .. .. | — |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. .. | 1561 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. .. .. | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories) .. .. | * |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. .. | * |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. .. .. | 23991 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. .. .. | 659 |
| PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners .. .. .. .. .. | — |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. .. | 1889 |
| PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 147 |
| PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc, both in English and Hindi .. | * |


*Folio Nos. not received.

# भाग I—खण्ड 1

# [PART I—SECTION 1]

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर 1986

सं० 80-प्रेज/86—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विक्रम सिंह,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
एटा, उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

12 जून, 19,84 को जिला मुख्यालय में सूचना प्राप्त हुई कि सेना के भगोड़ों से भरा एक ट्रक मैनपुरी से ऐटा की ओर आ रहा है । श्री विक्रम सिंह, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, उपलब्ध बल के साथ तुरन्त ऐटा-मैनपुरी सड़क पर चुंगी चौकी की ओर रवाना हुए । जाते हुए, पुलिस दल ने करौली की तरफ से एक ट्रक आते देखा, जो पुलिस दल से लगभग 250 गज की दूरी पर रुका । और उसने "यू" घुमाव लेकर मैनपुरी की तरफ भागना शुरू किया । श्री विक्रम सिंह, को संदेह हुआ और उन्होंने ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन सेना के भगोड़ों से जो आधुनिकतम स्वचालित शस्त्रों के साथ उस ट्रक में यात्रा कर रहे थे, पुलिस दल पर गोलीबारी की । पुलिस दल निरन्तर खतरे में था क्योंकि उसकी संख्या कम थी और दर्जे में बेहतर नहीं था तथा अधिकतर पुलिस कार्मिकों के पास 303 राईफलें थीं । सेना के भगोड़ों ने गांव छछौला के नजदीक अपना वाहन रोका और नहर के नजदीक खेतों में मोर्चा सम्भाला । स्थिति का जायजा लेकर श्री विक्रम सिंह ने बल को तीन दलों में विभाजित किया । भगोड़ों को दो पुलिस दलों ने सामने से उलझाए रखा । श्री विक्रम सिंह ने तीसरे दल का नेतृत्व किया और योजना के मुताबिक आगे बढ़ना शुरू किया और उन पर पीछे से हमला किया । चूंकि वहां पर पर्याप्त आड़ नहीं थी जिसके कारण भगोड़ों ने श्री विक्रम सिंह और उनके दल को देख लिया और उन पर गोली चलानी शुरू कर दी । लगातार गोली-बारी और भारी खतरे का सामना करते हुए वे नहर के किनारे भगोड़ों के नजदीक पहुंचे और भगोड़ों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि वे चारों तरफ से भारी पुलिस बल द्वारा घेर लिए गए हैं । श्री विक्रम सिंह ने उन्हें ललकारा और आत्म-समर्पण करने के लिए आदेश दिया । अंतत. सेना के 42 भगोड़ों ने आत्म-समर्पण कर दिया और 37 सैल्फ लोडिंग राइफल के 3230 सक्रिय कारतूसों के साथ पूर्णतया भरी हुई मैगजीनों के साथ 3 लाईट मशीनगनों और लाइट मशीनगन और अन्य गोला बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री विक्रम सिंह, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 जून, 1984 से दिया जाएगा ।

सं० 81-प्रेज/86—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी,
पुलिस संयुक्त अधीक्षक, ऐटा ।

श्री एन० पी० सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक, ऐटा ।

श्री शुभ नारायण उपाध्याय,
पुलिस वरिष्ठ उप अधीक्षक, ऐटा ।

श्री बृज भूषण बख्शी,
पुलिस उप अधीक्षक, आगरा ।

श्री जहान सिंह,
पुलिस निरीक्षक, ऐटा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

12 जून, 1984 को जिला मुख्यालय, ऐटा को सूचना मिली कि सेना के भगोड़ों से भरा हुआ एक ट्रक मैनपुरी से ऐटा की तरफ आ रहा है । पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, उपलब्ध बल के साथ जिसमें श्री ओ० पी० त्रिपाठी, पुलिस संयुक्त अधीक्षक, श्री एन० पी० सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, श्री एस० एन० उपाध्याय, पुलिस वरिष्ठ उप अधीक्षक, श्री बी० बी० बख्शी, पुलिस उप अधीक्षक, जिला आगरा और श्री जहान सिंह, पुलिस निरीक्षक, ऐटा, तत्काल ऐटा-मैनपुरी सड़क पर चुंगी-चौकी पर गए । जाते हुए पुलिस दल ने करौली से आते हुए एक ट्रक को देखा, जो पुलिस दल से लगभग 250 गज की दूरी पर रुक गया और "यू" आकार में घुमाव लिया और मैनपुरी की तरफ भागना शुरू कर दिया । चूंकि यह अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत हुआ, अतः पुलिस दल ने ट्रक का पीछा किया । उस ट्रक में यात्रा कर रहे सेना के भगोड़ों ने पुलिस दल पर गोली चलायी । भगोड़ों ने आधुनिकतम स्वचालित शस्त्रों का प्रयोग किया, जिसके परिणाम-स्वरूप पुलिस दल के जीवन को तुरन्त गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया । लगातार भारी गोलीबारी के बावजूद पीछा किया जाता रहा जो बहुत खतरनाक था । पुलिस दल की संख्या कम थी और वह दर्जे में बेहतर नहीं थी, क्योंकि पुलिस कार्मिकों के पास .303 राइफलें थीं । सेना के भगोड़ों ने एक नहर के नजदीक अपना वाहन रोका और एक खेत में मोर्चा सम्भाला । स्थिति का जायजा लेते हुए पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक ने पुलिस बल को तीन दलों में विभाजित किया और दो पुलिस दलों द्वारा भगोड़ों को सामने से उलझाए रखने का निर्णय लिया और तीसरे दल ने अपराधियों पर पीछे से हमला किया । भारी खतरे में, पुलिस दल, नहर के किनारे पर भगोड़ों के नजदीक पहुंचे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया । घेर लिए जाने के बाद 42 भगोड़ों ने अपने शस्त्रों और गोला बारूद के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें 37 एस० एल० आर०, पूर्णत. भरी हुई मैगजीन के साथ 3 एल० एम० जी० और एस० एल० आर० के 3230 सक्रिय कारतूस और 1 एम० जी० थीं ।

इस मुठभेड़ में श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, पुलिस संयुक्त अधीक्षक, श्री एन० पी० सिंह, पुलिस उप अधीक्षक श्री शुभ नारायण उपाध्याय, पुलिस वरिष्ठ उप अधीक्षक, श्री बी० बी० बख्शी, पुलिस उप अधीक्षक, और श्री जहान सिंह, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता की दिनांक 12 जून, 1984 से दिये जाएँगे ।

के० सी० सिंह,
राष्ट्रपति का उप सचिव

---

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० फा० 146/5/84-आ० क० स० क०—भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, नई दिल्ली को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। समिति प्रत्यक्ष करों यथा आयकर, धनकर, सम्पदा-शुल्क और दान-कर से सम्बन्धित मामलों का कार्य करेगी । यह एक सलाहकारी निकाय होगा और इसके कार्य निम्नवत् होंगे :—

(i) करदाताओं और आयकर विभाग के बीच पारस्परिक सूजबझ और सहयोग को विकसित करने तथा उसे बढ़ावा देने के उपायों पर सरकार को सलाह देना;

(ii) सामान्य स्वरूप वाली प्रशासनिक और कार्य-विधिक कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देना ।

समिति न तो अलग-अलग मामलों पर विचार-विमर्श करेगी और न ही सरकार की कराधान नीति से सम्बन्धित मामलों पर ।

2. समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

1. अध्यक्ष — वित्त मंत्री
2. उपाध्यक्ष — वित्त राज्य मंत्री

सरकारी सदस्य

1. सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ।
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।
3. प्रवर सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष, कर बोर्ड ।

गैर-सरकारी सदस्य

1. चार संसद सदस्य :
(क) श्री तरुण कान्ति घोष, सदस्य, लोकसभा ।
(ख) श्री डाल चन्द्र जैन, सदस्य, लोकसभा ।
(ग) श्री जागेश देसाई, सदस्य, राज्य सभा ।
(घ) श्री निर्मल चटर्जी, सदस्य, राज्यसभा ।
2. अध्यक्ष, एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ।
3. अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग संस्था संघ ।
4. अध्यक्ष, फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ।
5. अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ।
6. अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रबन्ध संस्था ।
7. श्री के० आर० रमामणि, एडवोकेट, मद्रास ।
8. श्री मनुभाई जी० पटेल, सनदी लेखाकार, अहमदाबाद ।
9. श्री निखीश कुमार सर्वेका, कलकत्ता ।
10. श्री एन० चम्पुलाल दावे, बम्बई ।
11. श्री टी० एन० पद्मनाभन, मद्रास ।
12. प्रबन्ध निदेशक, एयर इण्डिया ।
13. डा० अमरेश बागची, नई दिल्ली ।

नामजद गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा । संसद सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष या जब तक वे संसद सदस्य बने रहें, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक होगा ।

आदेश]

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कल्याण चन्द, उप सचिव

---

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 1986

आदेश

विषय :—कच्छ अपतट ब्लाक 2 क्षेत्र में 675 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम ओ० एन० जी० सी०(बी० ओ० पी०) को अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ०-12012/37/86—ओ० एन० जी० डी० II—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जाएगा) को 2-5-86 से कच्छ अपतट क्षेत्र ब्लाक 2 स्ट्रक्चर में 675 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की सभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 2-5-86 से 4 वर्ष की अवधि के लिए ओ० एन० जी० सी० (बो०ओ० पी०) को देने की स्वीकृति देती है ।

इसके विवरण इसके साथ सलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा :

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेट पर 192 रूपए प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी ।

---

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर देना होगा :

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000 रूपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जाएगी ।

| | |
|---|---|
| 1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए | 4 रु० |
| 2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए | 20 रु० |
| 3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए | 100 रु० |
| 4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए | 200 रु० |

5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए 300 रुपए ।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी ।

(ज) केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा ।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा :

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53 और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे ।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा ।

(ठ) आयोग द्वारा खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथी मीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़ें सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करने चाहिए ।

(ड) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है ।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं ।

(ण) इस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों की प्रतियां रक्षा मंत्रालय/मुख्य हाइड्रोग्राफर को निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ।

(त) अगर विदेशी जलपोत लगाये जाते हैं तो उसका नौ सेना सुरक्षा निरीक्षण उनके लगाये जाने से किया जाना होता है । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिये जिससे निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति हो सके ।

(थ) भावी संचालनात्मक योजना बनाने की सुविधा के लिये सर्वेक्षण आरम्भ करने समाप्त करने की तिथि बतायी जाये ।

अनुसूची "क"

1. संरचना : कच्छ अपतटीय ब्लाक 2
2. पी० ई० एल० क्षेत्र : 675.0 वर्ग किलोमीटर
3. भौगोलिक विवरण :

| पाइन्ट | अक्षांश | रेखांश |
|---|---|---|
| एल० | 22.10″00″ | 68.05″00 |
| एम० | 22.10″00″ | 68-20-00 |
| एन० | 21-55-00 | 68-20-00 |
| ओ० | 21-55-00 | 68-05-00 |

4. भूमि पर महत्वपूर्ण स्थानों से लगभग दूरी:—

| | | |
|---|---|---|
| पाइण्ट एम० | ओखा से | 72.5 कि० मी० |
| पाइण्ट एन० | ओखा से | 86 कि० मी० |
| पाइण्ट ओ | द्वारका से | 104 कि० मी० |

5. जल की गहराई 91.0 मीटर

6. पी० ई० एल० की प्रभावी तिथि—आदेशों को जारी करने की तिथि अथवा कुंए की खुदाई की तिथि ।

## अनुसूची—ख

## अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिए पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर

माह तथा वर्ष

### क—अशोधित तेल

| कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं० | अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की सं० | केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं० | कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की सं० | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ख—केसिंग हैड कण्डेन्सेट

| प्राप्त किये गये कुल मी० टनों की सं० | अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टनों की संख्या | केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या | कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टनों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ग—प्राकृतिक गैस

| कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या | अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या | केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पैट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या | कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

एतद्द्वारा मैं, श्री————————————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

भारत के राष्ट्रपति के नाम और उनके आदेश से

हस्ताक्षर————————

पी० के० राजगोपालन
डैस्क अधिकारी

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० 48(8)/81-भेड़:--केन्द्रीय भेड़ विकास परामर्शदाती परिषद के पुनर्गठन के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 48(8)/81-भेड़ दिनांक 8 नवम्बर, 1985 के साथ पठित संकल्प सं० 48(8)/81-भेड़ दिनांक 3 जनवरी, 1986 के अनुक्रम में भारत सरकार ने श्री एम० वासवराजु के स्थान पर श्री चन्दर शर्मा, संसद सदस्य (राज्य सभा) को नामित करने का निर्णय लिया है।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 1986

संकल्प

विषय:--केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में परामर्शदाती समिति का गठन

सं० 8-14/85-डी IV (भाषा):--केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर को IV उसके कार्यक्रम और परियोजनायें बनाने में सलाह देने और सहायता करने के लिये एक परामर्श दाती समिति का गठन करने के बारे में भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या एफ० 8-14/85-डी-IV (भाषा), दिनांक 11 दिसम्बर, 1985 का आंशिक संशोधन करते हुए इसके कार्यकाल को निम्न प्रकार से संशोधित करती है:--

"संयुक्त शिक्षा सलाहकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय"।

2. इस मंत्रालय को दिनांक 11 दिसम्बर, 1985 को संकल्प संख्या एफ० 8-14/85-डी-4(भा०) में दी गई अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, नई दिल्ली, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये।

पी० के० मल्होत्रा,
सहायक शिव राम सलाहकार

---

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 1986

संकल्प

सं० 6(3)/82-ट्रांस खण्ड दो:--ऊर्जा मंत्रालय विभाग के समसंख्यक संकल्प दिनांक 2 सितम्बर, 1983 तथा समय समय पर जारी किये गये संशोधनों में उत्तर पूर्व क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के गठन में क्रम सं० (12) के बाद निम्नलिखित जोड़ लिया जाये:--

"(13) सचिव, उत्तर पूर्व परिषद उत्तर पूर्व क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय नागालैंड, और मिजोरम की राज्य सरकारों, असम और मेघालय के राज्य बिजली बोर्डों उत्तरपूर्व विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण उत्तर पूर्व क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, सचिव, उत्तर पूर्व परिषद, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कोभेज दिया जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

जे० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव

---

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th October 1986

No. 80-Pres/86.—The President is pleased to award the Bar to President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Vikram Singh,
Senior Supdt. of Police,
Etah (UP).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 12th June, 1984, information was received at district Headpuarters that a truck load of Army deserters was moving towards Etah from Mainpuri. Shri Vikram Singh, Sr. Supdt. of Police, alongwith the available force rushed to octroi post on Etah-Mainpuri road. While approaching, the Police party saw a truck coming from Kuraoli which stopped at about 250 yards from the Police party and took 'U' turn and started speeding towards Mainpuri. Shri Vikram Singh got suspicious and started chasing the truck but the Police party was fired upon by the Army deserters who were travelling in that truck with sophisticated automatic weapons. The Police party was exposed to incessant danger because they were out-numbered and out-classed as most of the Policemen were carrying .303 rifles. The Army deserters stopped their vehicle near village Chachena and took position in a field near canal. Taking stock of the situation, Shri Vikram Singh divided the force into three parties. The deserters were engaged from the front by two Police parties. Shri Vikram Singh led the third party and advanced according to the plan and attacked them from the rear. Since there was no adequate cover, the deserters could discern Shri Vikram Singh and his party and began to fire at it. In the face of continous firing and great risk they reached close to the desperadoes on the canal bank and manoeuvered the deserters into thinking that they had been surrounded by heavy force from all sides. Shri Vikram Singh challenged them and ordered to surrender. Finally 42 Army deserters surrendered and 37 self-loading Rifles, 3 light machine guns with fully charged magazines alongwith 3230 live cartridges of self-loading Rifles and Light Machine guns and other ammunitions were recovered.

In this encounter, Shri Virkram Singh, Senior Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Bar to the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th June, 1984.

No. 81-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police:—

Names and rank of the officers

Shri Om Prakash Tripathi,
Jt. Supdt. of Police,
Etah.

Shri N. P. Singh,
Dy. Supdt. of Police,
Etah.

Shri Shubh Narain Upadhya,
Sr. Dy. Supdt. of Police,
Etah.

Shri Brij Bhushan Bakshi,
Dy. Supdt. of Police,
Agra.

Shri Jahan Singh,
Inspector of Police,
Etah.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 12th June, 1984, information was received at district Hprs. Etah, that a truck load of Army deserters was moving towards Etah from Mainpuri. The Sr. Supdt. of Police, alongwith the available force, which included Shri Om Prakash Tripathi, Jt. Supdt. of Police, Etah, Shri N. P. Singh, Dy. Supdt. of Police, Shri Shubh Narain Upadhya, Sr. Deputy Supdt. of Police, Etah, Shri Brij Bhushan Bakshi, Deputy Supdt. of Police, District Agra, and Shri Jahan Singh, Inspector of Police, Etah, rushed to Octroi Post on Etah-Mainpuri road. While approaching, the Police party saw a truck, coming from Kuraoli, which stopped at about 250 yards from the Police party and took 'U' turn and started speeding towards Mainpuri. As this appeared to be highly suspicious, the Police party chased the truck. The Army deserters, who were travelling in that truck opened fire at the Police party. The deserters used sophisticated automatic weapons which resulted in grave and imminent risk of life of the Police party. This dangerous chase continued against constant heavy firing. The Police party was totally outnumbered and out-classed as the Police personnel were carrying .303 rifles. The Army deserters stopped their vehicle near a Canal and took position in a field. Taking stock

of the situation the Sr. Supdt. of Police divided the Police force into three parties and decided to engage the deserters from front by two Police parties and the third party attacked the criminals from the rear side. With great risk, the Police party reached close to the deserters on the Canal bank and surrounded them from all the sides. On being surrounded, 42 deserters finally alongwith their arms and ammunition which included 37 SLRs., 3 LMGs with fully charged magazines and 3230 live cartridges of SLR and 1 MG.

In this encounter, Shri Om Prakash Tripathi, Jt. Supdt. of Police, Shri Shubh Narain Upadhya, Sr. Dy. Supdt. of Police, Shri Brij Bhushan Bakshi, Deputy Supdt. of Police and Shri Jahan Singh. Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th June, 1984.

K. C. SINGH, Dy. Secy.

## MINISTRY OF FINANCE

## (DEPARTMENT OF REVENUE)

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 22nd September 1986

### RESOLUTION

No. F. 146/5/84-ITCC.—The Government of India have decided to reconstitute the Central Direct Taxes Advisory Committee at New Delhi. The Committee will deal with matters relating to direct taxes, viz., income-tax, wealth-tax, estate duty and gift-tax. It will be an advisory body and its functions will be as follows :—

(i) to advise Government on measures for developing and encouraging mutual understanding and co-operation between tax papers and the Income-tax Department;

(ii) to advise Government on measures for removing administrative and procedural difficulties of a general nature.

The Committe shall not discuss individual cases nor shall it discuss matters relating to the taxation policy of the Government.

2. The composition ofthe Committe will be as under :—

1. Chairman —Minister of Finance
2. Vice-Chairman —Minister of State for Finance

*Official Members*

1. Secretary, Deptt. of Revenue, Ministry of Finance.
2. Chairman, Central Board of Direct Taxes.
3. Senior Member, Central Board of Direct Taxes.

*Non-Official Members*

1. Four Members of Parliament :—
   (a) Shri Tarun Kanti Ghosh, Member, Lok Sabha.
   (b) Shri Dal Chander Jain, Member, Lok Sabha.
   (c) Shri Jagesh Desai, Member, Rajya Sabha.
   (d) Shri Nirmal Chatterjee, Member, Rajya Sabha.
2. President, Associated Chambers of Commerce and Industry.
3. President, Federation of Associations of Small Scale Industries of India.
4. President, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
5. President, Institute of Chartered Accountants of India.
6. President, All India Management Association.
7. Shri. K.R. Ramamani, Advocate, Madras.
8. Shri Manubhai G. Patel, Chartered Accountant, Ahmedabad.
9. Shri Nishith Kumar Swaika, Calcutta.
10. Shri N. Chandulal Dave, Bombay.
11. Shri T.N. Padmanabhan, Madras.
12. Managing Director, Air India.
13. Dr. Amaresh Bagchi, New Delhi.

The term of office of nominated non-official members shall be two years. The term of office of Members of Parliament shall be two years or till they cease to be members of Parliament, whichever is earlier.

### ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KALYAN CHAND, Dy. Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd September 1986

### ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Kutch offshore area Block 2 structure measuring 675 sq. kms. sq. kms. to ONGC (BOP).

No. O-12012/37/86-ONG D 4.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (i) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for four years from 2-5-86 for Kutch offshore area Block 2 structure measuring 675 sp. kms. to ONGC (BOP) the particulars of which are given in schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 192/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, funish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the proceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or part thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all the times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

(l) The Commission should render, Buthymetric, bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence Naval Headquarters in the usual manner.

(m) ONGC ensures security of oceanographic data.

(n) The entire data is processed in India.

(o) Copies of the data collected by ONGC in this area is made available free of cost to Ministry of Defence/Chief Hydro.

(p) Foreign Vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspections by a team of Indian Navy Specialists officers prior to commencement of operations. Adequate notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.

(q) The date of commencement/cessation of survey be intimated to facilitate future operational planning.

SCHEDULE 'A'

1. Structure . . . Kutch offshore Block 2
2. PEL area . 675·0 sq. kms.
3. Geographical coordinates:

| Points | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| L . . . | 22° 10′ 00″ | 68° 05′ 00″ |
| M . . . | 22° 10′ 00″ | 68° 20′ 00″ |
| N . . . | 21° 55′ 00″ | 68° 20′ 00″ |
| O . . . | 21° 55′ 00″ | 68° 05′ 00″ |

4. Approximate distance from prominent places on land:

| | | |
|---|---|---|
| Point M | from OKHA | —72·5 Km. |
| Point N | from OKHA | — 86 Km. |
| Point O | from Dwarka | —104 Kms. |

5. Water depth— 91·0 mts.
6. PEL effective date . . —2-5-86

*SCHEDULE 'B'*

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof

Petroleum Exploration Licence for

Area

Month and Year

*A. Crude Oil*

| Total No. of Metric Tonnes obtained | No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir | No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government | No. of Metric tonnes obtained loss columns 2 and 3 | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*B. Casing head condensate*

| Total number of Metric Tonnes obtained | No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir | No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Govt. | No. of Metric Tonnes obtained loss columns 2 and 3 | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*C. Natural Gas*

| Total number of cubic metres obtained | Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir | Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government | Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3 | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I, Shri——————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

Signature

By order in the name of the President of India. P. K. RAJAGOPALAN, Desk Officer.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

## (DEPTT. OF AGRICULTURE AND COOPN.)

New Delhi, the 26th September 1986

### RESOLUTION

No. 48(8)/81-Sheep.—In continuation of this Ministry's resolution No. 48(8)/81-Sheep dated 3-1-1986 to be read with resolution No. 48(8)/81-Sheep dated the 8th November, 1985 reconstituting the Central Sheep Development Advisory Council, Government of India have decided to nominate Shri Chander Sharma, Member of Parliament (Rajya Sabha) in place of Shri M. Basavaraju.

### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Sectt. and Rajya Sabha Sectt.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. VERMA,
Under Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 22nd September 1986

### RESOLUTION

Subject: Advisory Committee in the Central Institute of Indian Languages, Mysore—Setting up of.

No. F. 8-14/85-DIV(L).—In partial modification of the Resolution No. 8-14/85-DIV(L) dated 11th December, 1985 published in the Gazette of India regarding setting up of an Advisory Committee to advise and assist the Central Institute of Indian Languages, Mysore in formulating its programmes and projects, the Government of India hereby revise the Entry No. 11 of the Composition and Tenure of the Committee as under :—

"Joint Educational Adviser, Department of Education, Ministry of Human Resource Development."

2. Other terms and conditions set out in this Ministry's Resolution No. F.8-14/85-DIV(L) dated 11th December, 1985.

### ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Central Institute of Indian Languages, Mysore. All State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, New Delhi, Ministry of Parliamentary Affairs, Parliament House, New Delhi, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. MALHOTRA,
Assistant Educational Adviser.

## MINISTRY OF ENERGY

## (DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 26th August 1986

### RESOLUTION

No. 6(4)/82-Trans. Vol.II.—In the Ministry of Energy, Department of Power's Resolution of even number dated the 2nd September, 1982 and amendments issued from time to time, the following additions may be made after serial number (xii) in the composition of North Eastern Regional Electricity Board.

"(xiii) Secretary, North Eastern Council", to be ex-officio Member of the North Eastern Regional Electricity Board."

### ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Nagaland and Mizoram, the State Electricity Boards of Assam and Meghalaya, the North Eastern Electric Power Corporation Ltd., the National Hydro-electric Power Corporation Ltd., the Central Electricity Authority, the North-Eastern Regional Electricity Board, Secretary, North Eastern Council, all Ministries of the Govt. of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller & Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. C. GUPTA,
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI, 1986